न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/92/2021	2021/174	03.05.2021	05.10.2021

1. साहून खां पुत्र श्री आश मोहम्मद, निवासी ग्रम पंचायत बाघोर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर।

– रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थे का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार –रैस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 05.04.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1129/2002 निरस्त करने के आदेश दिये गये है से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत बाघोर तहसील तिजारा के 1/2 भाग का डीलर है। जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 1129/2002 है एवं पॉस मशीन संख्या 17454 है। व्यक्तिगत एवं राजनैतिक रंजिश के कारण कुछ उपभोक्ताओं द्वारा प्रार्थी की झूठी शिकायत की गई जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा द्वारा दिनांक 11.01.2021 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई। जिसके आधार पर आदेश दिनांक 21.01.2021 को प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त नोटिस का जवाब एवं साक्ष्य सबूत दिनांक 31.03.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया एवं प्रार्थी द्वारा जवाब के साथ पॉस मशीन व स्टॉक हस्तानान्तरण रसीद भी प्रस्तुत कर दी गई। जिसमें सम्पूर्ण अवशेष स्टॉक अटैच डीलर को दिनांक 01.02.2021 को दो गवाहन के समक्ष सुपुर्द कर दिया गया। प्रार्थी के जवाब को बिना कन्सीडर किये दिनांक 05.04.2021 को प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया। उक्त विवादित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक प्रदार्थ का विनिमय आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरित है। पॉस मशीन से राशन लेने कि एक विधिवत प्रक्रिया निर्धारित है जिसमें प्रार्थी के हाथ का अगूंठा या कोई भी अंगूली लगाने से या उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर ओ.टी.पी. नंबर आने पर रसद सामग्री देय होती है। राशन लेने के उपरान्त उपभोक्ता को शेष राशन की पूरी जानकारी रहती है। वक्त जांच उपभोक्ता झब्बर खां, रूस्तम खां, फडरी पत्नि श्री जुम्मा, मुस्तीकम, अब्बास, मुफीद, सद्दाम ईसब खां द्वारा स्पष्ट बयान दिया कि डीलर द्वारा समय–समय पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री दी जाती है। लेकिन कुछ उपभोक्ता जो अपीलान्ट से व्यक्तिगत रंजिश रखते है एवं पुराने मुकदमेबाजी की वजह से प्रार्थी के विरूद्व आये दिन झूठी शिकायत करते रहते है। यह उल्लेखनिय है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.05.2020 के द्वारा ऑनलाईन वितरण प्रक्रिया में समस्या होने पर ऑफलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उठाव व विवरण की शिथिलता प्रदान की गई। पॉस मशीन में नेटवर्क की समस्या आने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑफलाईन सामग्री दी गई। उक्त तथ्य को जांच अधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को कनसीडर नही किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कट्टो की एक पंक्ति को गिनने में भूल की है जबकि प्रार्थी द्वारा अटैच डीलर को स्टॉक के अनुसार अवशेष रसद सामग्री सुपुर्द कर दी गई। जांच अधिकारी द्वारा 400 मी.ली. केरासीन को 40

जिला कलक्टर, अलवर

ली. कम बताकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जांच अधिकारी द्वारा केवल मात्र उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप माना है। जबकी वर्तमान प्रकिया अनुसार उपभोक्तओं को बायोमैट्रिक पॉस मशीन द्वारा रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के मोबाईल पर आ जाता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर रसद सामग्री का दुरूपयोग किया जाना नही माना जा सकता। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो प्रार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई ना दस्तावेज बयानात आदि की कॉपी उपलब्ध कराई गई। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में किसी भी आरोप को प्रमाणित नही माना जा सकता। विवादित आदेश में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र कारण बताओं नोटिस एवं जवाब का समावेश किया जाकर आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी अंकित नही किया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की किन शर्तो का किस प्रकार उल्लंघन किया गया है। आदेश प्रथम दृष्टया नोन स्पीकिंग आदेश की श्रैणी में आता है। सरपंच ग्राम पंचायत बाघोर द्वारा भी डीलर की वितरण व्यवस्था को उचित एवं सही मानते हुए डीलर को बहाल करने की अभिशंसा की गई जिसके बाद भी उक्त आदेश पारित किया गया। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है। प्रार्थी पर पूरे परिवार का भरण–पोषण का दायित्व है। प्रार्थी पर गबन एवं कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नही है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के अनुसार किसी भी तकनिकी अनियमितता के आधार पर डीलर के विरूद्व मुकदमें दर्ज नही करने बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये है। प्रार्थी द्वारा कारण बताओं नोटिस में अंकित सभी आरोपो का विस्तृत बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किये जाने के बावजूद विवादित आदेश पारित किया गया

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 4/2021 सरकार बनाम साहुन खां में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकर करते हुए निवेदन किया कि उपभोक्ता की शिकायत व जांच के आधार पर प्राधिकार पत्र दिनांक 05.04.2021 को निरस्त किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा की जांच रिपोर्ट में वर्णित 38 उपभोक्ताओं के बयानों व ऑनलाईन राशन कार्डो की ट्राजेक्शन रिपोर्ट के आधार पर जांच करने पर 4820 कि0 गैंहू तथा 136 कि0ग्र0 चना–दाल का फर्जी ट्राजेक्शन करके दुरूपयोंग करना पाया गया है। शिकायत प्रार्थना पत्र की सही पुष्टि होने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि दिनांक 24.03.2017 के आदेश अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमेट्रिक से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर ओ.टी.पी. नं0 आता है। जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मुल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है। जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आ जाता है। उपभोक्ता को देय सामग्री का मैसेज रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर आ जाने के कारण राशन कार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस क्रमांक 33090 दिनांक 21.01.2021 को जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2021 को दिया गया। अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर, ई–सूची, नाप–तौल प्रमाण पत्र उपलब्ध नही करवाना, मासिक रिर्टन कार्यालय में उपलब्ध नही करवाना, माह जनवरी 2021 का 25092 कि0ग्रा0 गैंहू रेग्यूलर ए.पी.एल. का पॉस मशीन 17454 में रिसीव नही करना, भौतिक सत्यापन में 4 कि0 चना एन.एफ.एस.ए. का कम पाया जाने तथा 38 उपभोक्ताओं के बयानों एवं ऑनलाईन राशन कार्ड ट्राजेक्शन रिपोर्ट के आधार पर जांच करने पर कुल 4820 कि0 ग्राम गैंहू तथा 136 कि0 चना का फर्जी ट्राजेक्शन होना गंभीर अनियमितता, गबन एवं कालाबाजारी की श्रैणी में आता है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश 05.04.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर